

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-490 / 2016

संस्थित दिनांक-14.06.2016

फाईलिंग नं.-3004302016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गढ़ी,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

केहरसिंह पिता सुकलाल, उम्र-42 साल,  
निवासी-ग्राम सरईटोला, कोयलीखापा, थाना गढ़ी  
जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-11/07/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्टस) के तहत आरोप है कि दिनांक-24.05.2016 को रात्रि 9:30 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम सरईटोला कोयलीखापा में आहत मानसिंह व दूजाबाई को लकड़ी व कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मानसिंह धुर्वे ने दिनांक-25.05.2016 को पुलिस थाना गढ़ी आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक-24.05.2016 को रात्रि 9:30 बजे वह अपनी पत्नी व सास के साथ खाना खा रहा था तभी उसके भाई व भाभी घर से गाली देते हुए आए। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियां दी और लकड़ी व कुल्हाड़ी से उसके तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें सिर पर चोट आई थी। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-53/2016, धारा-294, 323, 324, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्ट्स) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहतगण मानसिंह व दूजाबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा एवं धारा-324(2 काउन्ट्स) का अपराध शमनीय नहीं होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-24.05.2016 को रात्रि 9:30 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम सरईटोला कोयलीखापा में आहत मानसिंह व दूजाबाई को हलकड़ी व कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-**

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी मानसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी को पहचानता है। आरोपी उसका भाई हैं आरोपी से उसका मौखिक विवाद हो गया हुआ था, जिससे वह गिर गया था और उसे चोट आई थी। घटना के संबंध में उसने थाना गढ़ी में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस मौके पर आई थी और मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने कहा है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से मारने वाली बात लेख कराई थी। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 व पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में कुल्हाड़ी से मारने वाली बात लिखाई जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था।

6- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी दूजाबाई (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। आरोपी उसका जेठ है। घटना दिनांक को उसके पति का आरोपी से विवाद हुआ था। वह बीच-बचाव करने गई थी, जहां वह गिर गई थी और उसे सिर पर चोट आई थी। उसने पुलिस को बयान नहीं दिये थे। साक्षी ने कहा कि उसने आरोपी से राजीनामा कर लिया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को

पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 में आरोपी द्वारा लकड़ी से मारने वाली बात लिखवाई थी।

7— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 (2 काउन्टस) का अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी मानसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी से उसका विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में लेख कराई थी। साक्षी ने कहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक को किसी धारदार वस्तु से उसे साथ मारपीट नहीं की थी। साक्षी दूजाबाई (अ.सा.2) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में वाद विवाद होने वाली बात कही है, आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्टस) का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्टस) के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

9— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा एक नग कुल्हाड़ी मय बेसा के मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही /—

बैहर,  
दिनांक-11.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट